



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता (विभागाध्यक्ष)  
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।  
" वर्कचार्ज वर्ग "



E-Mail-budgethodpwd@gmail.com

दिनांक:-05.06.2020

Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्र सं0-253/23 का0प्र0-अधि0/20

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,  
क्षेत्रीय/राष्ट्रीय राजमार्ग/ए0डी0बी0/  
पी0एम0जी0एस0वाई0 कार्यालय, लो0नि0वि0,  
देहरादून/पौड़ी/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।

विषय :- एस0एल0पी0 (सिविल) सं0- 4371/2011 प्रेम सिंह बनाम, उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2019 के अनुपालन हेतु वर्कचार्ज कार्मिकों को पेंशन का लाभ अनुमन्य किये जाने के लिए वेतन निर्धारण/ पेंशन की जांच तथा परीक्षण का कार्य अत्यन्त तत्परता/समयबद्धता के साथ सम्पादित किये जाने हेतु दिशा-निर्देश।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्र सं0- 203/23 का0प्र0-अधि0/20 दिनांक- 27.05.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा वर्कचार्ज कार्मिकों की वर्कचार्ज अधिष्ठान में की गयी सेवाओं को जोड़ते हुए खण्ड स्तर पर तैयार किये गये प्रकरणों को खण्डीय कार्यालय स्तर की समिति के सदस्यों एवं अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी) के हस्ताक्षरपरान्त खण्डीय अधिष्ठान सहायक एवं खण्डीय लेखाधिकारी /वरिष्ठ खण्डीय लेखाधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक 3.6.2020 से दिनांक 4.7.2020 के मध्य संलग्न समय सारिणी के अनुसार प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। कोविड-19 के संक्रमण के कारण हो रही असुविधा के दृष्टिगत निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरण खण्डीय अधिष्ठान सहायक अथवा निम्न अधिकारी के माध्यम से इस कार्यालय के लेखा वर्ग में प्रस्तुत किये जायें।

(इ0 हरिओम शर्मा),

प्रभारी, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार निहित आदेशों तथा निवारित कार्यप्रक्रिया के अनुसार समुचित अनुपालन एवं समयबद्ध कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, स्तर-11 (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
3. वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, ..... वें, वृत्त लोक निर्माण विभाग.....।
5. समस्त अधिशासी अभियन्ता (आहरण एवं वितरण अधिकारी), प्रान्तीय/निर्माण/अस्थाई/वि0यी0/रा0मा0/ए0डी0बी0/पी0एम0जी0एस0वाई0 खण्ड, लो0नि0वि0,.....।
6. अधिशासी अभियन्ता, (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
7. आई0टी0 सैल कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून को इस निर्देश-के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र संलग्नक सहित आज ही विभागीय वेसाइट पर अपलोड करते हुए समस्त कार्यालयों को ई-मेल भी करना सुनिश्चित करें।
8. प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) /वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (अधिष्ठान) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।
9. सहायक लेखाधिकारी/लेखाकार, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

05/06/2020